

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बैठक दिनांक 03.11.2007 का कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव/निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
01.	55.1 (पृ. 1 से 19)	जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007, 19.03.2007 एवं परिचालन के माध्यम से लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007, 19.03.2007 एवं परिचालन के माध्यम से लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
02.	55.2 (पृ. 20 से 36)	जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007, 19.03.2007 एवं परिचालन के माध्यम से लिये गये निर्णयों की अनुपालना।	जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007, 19.03.2007 एवं परिचालन के माध्यम से लिये गये निर्णयों की अनुपालना प्राप्त होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।	
03.	55.3 (पृ. 37)	जविप्रा की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर लेय पुनर्ग्रहण शुल्क में छूट के सम्बन्ध में।	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवंटित भूखण्डों के लिए राजस्थान इम्प्रेमेन्ट ट्रस्ट डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 (6बी) के तहत आवंटित तिथि से 5 वर्ष की निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने की स्थिति में आवंटित मूल्य के 5 प्रतिश की दर से पुनर्ग्रहण शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। परन्तु इस नियत अवधि में भी जविप्रा द्वारा जविप्रा आवासीय योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं करने के कारण आवंटियों द्वारा भवन निर्माण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आवंटियों द्वारा यह मांग की जाती रही	उपायुक्त, जोन-9
.				


जयपुर विकास प्राधिकरण
च.प.क.

है कि योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने पर ही भवन निर्माण किया जाना संभव हो पाता है, इसलिये पुनर्ग्रहण शुल्क आधारभूत सुविधाओं के विकास से ही लिया जावे। इस प्रकार आवंटियों की मांग को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना आवंटन की तिथि से 5 वर्ष या सड़क, बिजली एवं पेयजल की सुविधायें विकसित करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से नियमानुसार लेय किये जाने का प्रावधान नियमों में करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया लेकिन जिन प्रकरणों में पुनर्ग्रहण शुल्क जमा हो चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जावेगा।

प्राधिकरण द्वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के नियम 14(ए) के अनुसार नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों पर भवन निर्माण कब्जा संभालने की तिथि से 3 वर्ष की नियत अवधि में नहीं किये जाने पर प्रचलित आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत की दर से पुनर्ग्रहण शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। नीलामी में क्रय करने वाले लोगों की मांग को देखते हुए प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर आवंटित मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष पुनर्ग्रहण शुल्क लिये जाने के प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए दोनों प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने हेतु प्रचलित आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत के स्थान पर (नीलामी के समय


जयपुर विकास प्राधिकरण
प्रावधान विभाग

		<p>स्थित भूमि का व्यावसायिक रूपान्तरण निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>बिन्दु संख्या (1) एवं (2) में आने वाले प्रकरणों में भू-स्वामी को समर्पित भूमि के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर 20 प्रतिशत क्षेत्र के विकसित आवासीय भूखण्ड तथा 5 प्रतिशत क्षेत्र के व्यावसायिक भूखण्ड जविग्रा द्वारा उसी सेक्टर में प्राधिकरण की भूमि पर योजना बनाकर निःशुल्क आवंटित किये जावेंगे। उसी सेक्टर में प्राधिकरण की भूमि नहीं होने की स्थिति में अथवा 20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम होने की स्थिति में अथवा 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से कम होने की स्थिति में भू-स्वामी को क्षेत्र की आरक्षित दर के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान कर भूमि सड़क हेतु समर्पित कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>(स) सड़क क्षेत्र में अगर किसी का निर्माण आदि आता हो तो सड़क एवं पट्टी के मॉडल में जिस प्रकार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है उसी प्रकार इसमें भी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
06.	55.6 (पृ. 41 से 42)	<p>रेल्वे ओवर ब्रिज जगतपुरा एवं 200' महल रोड से प्रभावित अनुमोदित/गैर अनुमोदित योजनाओं/रेल्वे की भूमि पर निर्मित दुकानों, मकानों एवं बेसमेन्ट के हितधारकों के पुर्णवास बाबत।</p>	<p>विचार विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 117वीं बैठक दिनांक 18.6.2007 में लिये गये निर्णयों का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 200' सड़क सीमा से प्रभावित दुकानों के निर्मित क्षेत्रफल के बराबर वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन रनिंग लेन्थ के बजाय प्रभावित



सचिव 4

चम्पुर विधान प्रशिक्षक
सम्मिलन

			प्रचलित आरक्षित दर) तत्कालीन आरक्षित दर के 5 प्रतिशत की दर से ही प्रतिवर्ष पुर्नग्रहण शुल्क लिये जाने का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	
04.	55.4 (पृ. 38)	ई.सी. की 115वीं बैठक दिनांक 18.5.2007 में एजेण्डा आईटम संख्या 115.21 पर लिये गये निर्णय के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	कार्यकारी समिति की 115वीं बैठक दिनांक 18.5.2007 में एजेण्डा आईटम संख्या 115.21 पर लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)
05.	55.5 (पृ. 39 से 40)	जिन सेक्टर्स में सड़क के साथ व्यावसायिक पट्टी प्रस्तावित नहीं है ऐसे सेक्टर्स में सेक्टर सड़कों के विकास हेतु प्रस्तावित मॉडल।	<p>प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात जिन सेक्टर्स में सड़क के साथ व्यावसायिक पट्टी प्रस्तावित नहीं है ऐसे सेक्टर्स में सेक्टर सड़कों के विकास हेतु प्रस्तावित मॉडल है :-</p> <p>(अ) सेक्टर रोड में जितनी भूमि आती है उसी भूमि का समर्पण कराया जायेगा, व्यावसायिक पट्टी नहीं रखी जायेगी।</p> <p>(ब) सेक्टर रोड में खातेदारों/भूखण्डधारियों की भूमियां निम्नानुसार आ सकती है :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) सम्पूर्ण भूमि/भूखण्ड सेक्टर रोड में आ रहा हो। (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्र सेक्टर रोड में आने के कारण शेष बचे भूखण्ड में निर्माण संभव नहीं हो। (3) सेक्टर रोड में आंशिक भूमि आती हो, तथा सड़क एक अथवा दोनों तरफ खातेदार की भूमि उपलब्ध हो रही हो। <p>बिन्दु संख्या 3 में आने वाले प्रकरणों में भू-स्वामी को उनके द्वारा समर्पित भूमि के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उसी सड़क के सहारे</p>	निदेशक (नगर आयोजना)

3

क्षेत्रफल के अनुरूप स्टेण्डर्ड आकार के सृजित भूखण्डों का आवंटन किया जाना है।

2. दुकानों एवं मकानों के भूखण्डों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर नहीं किया जाकर आर.ओ.बी तक की प्राथमिकता के अनुसार लॉटरी द्वारा अथवा आर.ओ.बी तक के समर्पणकर्ता हितधारकों की सहमति अनुसार आवंटन किया जाना है।
3. प्रभावित हितधारक की यदि एक से अधिक निर्मित दुकान सड़क सीमा में आ रही है तो 200' महल रोड पर नवसृजित भूखण्डों में से एक वाणिज्यिक भूखण्ड 200' की तरफ देखता हुआ आगे तथा शेष दूसरा उसके पीछे दिया जाना है। दो से अधिक भूखण्ड एक ही व्यक्ति को आवंटन होने की दशा में इस क्रम को दो-दो के जोड़े बनाकर दोहराया जाना है। वाणिज्यिक भूखण्ड पर बने बेसमेन्ट को 200' मुख्य रोड पर बनी दुकानों की कतार के पीछे की कतार में वाणिज्यिक भूखण्ड आंवटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. प्रथम चरण में आर.ओ.बी. तक प्रभावित निर्मित मकान जिनमें वर्तमान में लोग अधिवास कर रहे हैं को ग्राम श्री किशनपुरा में सवाई भवानसिंह विद्यालय के पीछे महल विस्तार योजना की सी.डी. ब्लॉक भूमि में स्टेण्डर्ड आकार के आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाकर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया अन्य बिना निर्मित भूखण्डों



जगद्धार विकास प्राधिकरण

		<p>के हितधारकों को पूर्व निर्णय की भांति महल विस्तार योजना में पुनर्वासित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>5. प्रभावित निर्मित दुकान के क्षेत्रफल एवं आवंटित किये जाने वाले सृजित भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/बेसी को गुणावगण के आधार पर समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>6. आनन्द विहार योजना में पूर्व में आवंटित 9 दुकानों के आवंटनों को न्यायालय के स्थगन के कारण निरस्त किया जाकर उनके स्थान पर 200' रोड पर सृजित दुकानों में उक्त पैटर्न के अनुरूप आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
07.	55.7 (पृ. 43 से 47)	जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजन के सम्बन्ध में।	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (प्रशासन)
08.	55.8 (पृ.48)	स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटित भूमि की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
09.	55.9 (पृ.49)	दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा संस्थान गणगौरी बाजार पुरानी बस्ती जयपुर को उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 09.04.2007 को पुनः आवेदन कर राजकीय चिकित्सालय के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थान पर राजस्थान सडक विकास एवं निर्माण निगम को उक्तं राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया। जिस पर परिचालन से पारित संशोधित एजेण्डा स्वीकृति पश्चात् दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा संस्थान के राजकीय चिकित्सालय निर्माण हेतु राजस्थान सडक



11.	55.11 पृ. 52 से 55	पालडीमीणा योजना हेतु ली गई ग्राम पालडीमीणा के खसरा नम्बर 637, 639, 641, 736 रकबा 3.08 है. खातेदारी भूमि के एवज में 15 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन की स्वीकृति बाबत।	प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात पालडीमीणा योजना हेतु ली गई ग्राम पालडी मीणा के खसरा नम्बर 637, 639, 640, 641, 736 रकबा 3.08 है. खातेदारी भूमि के एवज में 15 प्रतिशत विकसित भूमि हिस्सा अनुसार खातेदारों को पालडी मीणा योजना के भूखण्ड संख्या सी-729 से सी-742, सी-750 से सी-763, सी-743, सी-744, सी-749, सी-707 से सी-723 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 4590 व.मी. के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त, जोन-10
-----	--------------------------	--	--	---------------------

जयपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बैठक दिनांक 03.11.2007 के अतिरिक्त एजेण्डा की सूची (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
12.	55.1 (पृ. 1 से 3)	विद्याधर नगर स्टेडियम में विकास कार्य करवाये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात विद्याधर नगर स्टेडियम के विकास कार्य हेतु जिनमें (1.) मलटीपरपज स्टेडियम राशि रुपये 175 लाख (2) बैडमिटन एवं टीटी हॉल राशि रुपये 140 लाख (3) रिनोवेशन ऑफ कबड्डी, खो-खो, बालीबॉल, हैण्डबाल, बास्केट बाल, टेनिस कोर्टस, जोगिंग ट्रेक तथा क्रिकेट प्रेक्टिस नेट 20 लाख कुल राशि रुपये 335 लाख रुपये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को भिजवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (परियोजना)

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		<p>विकास एवं निर्माण निगम को 8 करोड रुपये दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जोन द्वारा दिनांक 08.05.07 को उक्त निर्णय की अनुपालना में जनरल मैनेजर, राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को स्वीकृत राशि रुपये 8 करोड का चैक संख्या 917324 दिनांक 08.05.07 को भिजवा दिया गया है। प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	
10.	55.10 (पृ. 50 से 51)	<p>सांगानेर फ्लाई ओवर की स्लिप लेन की अवाप्ति में आ रही निर्मित दुकानों के बदले में खातेदार की पीछे स्थित भूमि का व्यावसायिक रूपान्तरण की स्वीकृति बाबत।</p> <p>प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात सांगानेर फ्लाई ओवर की स्लिप लैन की अवाप्ति में आ रही निर्मित दुकानों के बदले में खातेदार की पीछे स्थित भूमि के व्यावसायिक रूपान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>प्रस्तावनुसार उक्त दुकानों की लीज डीड जारी करने से पूर्व खातेदारों से यह अण्डर टेंकिंग/ शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये की उपरोक्त दुकानों के पट्टे जारी करने पर स्लिप लेन में आ रही दुकानों को ध्वस्त कर दिया जावेगा।</p> <p>खातेदारों को अपने हिस्सों के अनुसार सृजित दुकानों की पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदित मानचित्रानुसार नियमानुसार रूपान्तरण राशि ली जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत लीजडीड/ पट्टे जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	उपायुक्त जोन-8



जयपुर विकास प्राधिकरण


13.	55.2 (पृ. 4 से 5)	स्पेशल इकोनोमिक जोन के दक्षिण की तरफ रिंग रोड से बगरु जाने वाली मास्टर प्लान रोड के अलाईमेंट में आंशिक परिवर्तन बाबत।	स्पेशल इकोनोमिक जोन के दक्षिण की तरफ रिंग रोड से बगरु जाने वाली मास्टर प्लान की 250 फिट रोड के मध्य में ग्राम कलवाड़ा में मंदिर आने के कारण उक्त रोड के अलाईमेंट में आंशिक परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसकी अवाप्ति में नये आ रहे खसरा नम्बरों को सेज हेतु अवाप्तशुद्धा अन्य भूमि के समान राज्य सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 27.10.05 के अनुसार जविप्रा अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक कुल 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने एवं रोड अलायमेंट से छूट रहे खसरा नम्बरों को अवाप्ति से मुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त, जोन-11
14.	55.3 (पृ. 6 से 22)	Presentation of work Related to Shooting Range Equestrian Arena, Archery, Construction of Hotel in PPP Model and Approval of revised cost/scope of the project alongwith other relatin matters.	शूटिंग रेन्ज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त महोदय के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 27.10.07 को मनीला में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किये गये सशक्त प्रस्तुतीकरण के उपरान्त Asian Clay Shooting Championship 2008 के टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका जापान के मुकाबले जयपुर को प्राप्त हुआ है। मनीला में जो प्रस्तुतीकरण किया गया था उसका प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण के माननीय सदस्यों के समक्ष प्राधिकरण के शूटिंग रेन्ज प्रोजेक्ट के कन्सलटेन्ट श्री सुशील चौधरी के द्वारा किया गया। इस प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा माननीया मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार माननीय स्वायत्त शासन मंत्री एवं जयपुर विकास	निदेशक (प्रोजेक्ट)

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

आयुक्त महोदय को इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जयपुर में लाने हेतु धन्यवाद दिया गया। इस प्रस्तुतीकरण में यह बात सामने आई थी कि माह जनवरी 2008 में इस परिसर में करवाये गये कार्यों का एशियन क्ले शॉटिंग प्रतियोगिता के मापदण्डों पर उपयुक्तता का निरीक्षण एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

इसी प्रोजेक्ट में कार्यों के सम्पादन में प्राधिकरण द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के बाबत प्रस्तावित एजेण्डा के निम्न बिन्दु संख्या (1) से 4 एवं 7 से 11 तक की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (1) Revision fo A&F sanction from Rs. 20.00 Crores to 44.56 Crores due to increase in reaa of range changes in specification and other addtional activities as
 - (i) Final Ranges
 - (ii) Grand Stand
 - (iii) Screen Wall
 - (iv) Hostels
- (2) Approval fo variation in exiting contract quantities more than 10 % including, addition of items as per design and specification of Architect Shri Sidharth Shirur.
- (3) Approval of effect due to deletion of two items i.e proflex sheet ans Alucobond in existing contract, looking at the facts mentioned in agenda note.




10
सं. वा.
X

जयपुर विकास प्राधिकरण

15.	55.4 (पृ.23 से 53)	" where the JDA has not initiated any scheme for development of any road or section or any facility there of and any proposal is received from any person or local body unsolicited of "Suo-moto" it may after considering the same, invite competitive proposals by public notice and the original proposer shall be given first right of refusal "	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तुत " where the JDA has not initiated any scheme for development of any road or section or any facility there of and any proposal is received from any person or local body unsolicited of "Suo-moto" it may after considering the same, invite competitive proposals by public notice and the original proposer shall be given first right of refusal " इस अवधारणा की स्वीकृति दी गई।	जोनल अभियंता (सूओ-मोटो)
16.	55.5 (पृ.54 से 62)	मिशन अनुपम के तहत जे.एल.एन. मार्ग पर जवाहर सर्किल के समीप भव्य प्रवेश द्वारा निर्माण परियोजना के क्रम में।	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात मिशन अनुपम के तहत जे.एल.एन. मार्ग पर जवाहर सर्किल के समीप भव्य प्रवेश द्वारा निर्माण के लिये राजस्थान पत्रिका को प्राधिकरण की शर्तानुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।	जोनल अभियंता—प्रथम ए
17.	55. 6 (पृ. 63)	मास्टर विकास योजना 2011 में सिरसी रोड के मार्गाधिकार के साथ-साथ 50'-50' प्लान्टेशन कॉरिडोर को हटाये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात सिरसी रोड के आर.ओ.डब्ल्यू के साथ-साथ 50'-50' फिट प्लाटेशन कॉरिडोर के प्रावधान जो जोन सी बाईपास से मास्टर विकास योजना 2011 की 200 फीट प्रस्तावित सड़क तक है, को विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (नगर आयोजना)


 अध्यक्ष विकास प्राधिकरण
 राजस्थान

- (4) Ex-post-facto approval of E.C. decision for purchase of equipment from Laport without inviting tender.
- (7) Carry out the work of Archery and additional facilities after inviting fresh tenders.
- (8) Approval for taking the work of Hotel under Public Private Partnership Model.
- (9) Approval for taking separate electric connection for different activities in the name of caretaker of these activities.
- (10) Appointment of caretaker on contract basis for all these activities till the PPP Model is finalized.
- (11) Payment of architectural fees in accordance with the revised cost of the Project. का अनुमोदन किया गया।
- (5) Approval of purchase of equipment either from ISSF certified manufacturer on recommendation of NRAI or through NRAI without inviting tender.
- (6) Approval of purchase of equipment for Archery either from certified manufacturer on recommendation of sports authority of India or through sports authority of India without inviting tender. इस प्रकार बिन्दु संख्या-5 व 6 पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, जविप्रा को अधिकृत किया गया।



जयंत पटेल
जयंत विकास व्हाइकरण

20.	55.9 (पृ. 70)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) का आवंटित भूखण्ड संख्या—5—ए ज्ञालाना संस्थानिक क्षेत्र की बढ़ाई गई निर्माण अवधि 31.12.06 तक की पुष्टि किए जाने एवं पुनः निर्माण अवधि 31.12.2008 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) को आवंटित भूखण्ड संख्या—5—ए ज्ञालाना संस्थानिक क्षेत्र की बढ़ाई गई निर्माण अवधि 31.12.06 तक की पुष्टि की गई एवं पूर्व निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष के व्यक्तिक्रम के लिए भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि 31.12.2008 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त, जोन-1
21.	55.10 (पृ. 71 से 80)	मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों हेतु रीको पैटर्न के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल के सेवा नियम लागू करने के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु रीको पैटर्न के सेवा नियमों के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल पैटर्न के सेवा नियम लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
22.	55.11 (पृ. 81 से 82)	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित किये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित किये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत एजेण्डा को स्वीकृति दी गई। इस एजेण्डा के अनुसार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित किये जाने वाले क्षेत्र को कॉलोनियों सहित मय रिकार्ड एक माह में हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया।	जोनल अभियंता-4
23.	55.12 (पृ. 83 से 85)	सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजनाओं में विकास कार्य करवाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजनाओं में एजेण्डा के प्रस्ताव में वर्णित शर्तों के अनुसार विकास कार्य करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी)

जयपुर विकास प्राधिकरण
लघुपत्र

18.	55.7 (पृ.64 से 66)	जयप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 616 / 597 / 1, 612 / 1, 615 / 1, 617 / 1 कुल किता 5 रक्खा 1.19 हैंटेयर भूमि में से 5329.67 वर्गमीटर भूमि हेतु मास्टर विकास योजना-2011 में दर्शित 300' चौड़ी सड़क 200' चौड़ी किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावनुसार :- (1) रीको के प्रस्ताव के मध्यनजर में मास्टर विकास योजना की प्रस्तावित 350' चौड़ी सड़क के स्थान पर रीको की सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रस्तावित सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि में बड़ोवान की ढाणी के पश्चिम में स्थित सड़क तक 200 फीट रखा जावें इसके पश्चात सेक्टर-37 में सेक्टर रोड प्लान के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। (2) मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में व सैक्टर प्लान नम्बर-37 में इस सड़क का एलान्यमेट रीको की सीतापुरा औद्योगिक योजना व प्रस्तावित सीतापुरा औद्योगिक योजना अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया। (3) बड़ोवान की ढाणी आबादी के दक्षिणी ओर जहां पर उक्त प्रस्तावित सड़क सेक्टर प्लान की 200 फीट रोड पर मिलती है, को सड़क का एलायमेंट सड़क के सेक्टर प्लान के प्रस्ताव के अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया। (4) मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार सड़क की चौड़ाई 350' के स्थान पर 200' करने के कारण शेष बची हुई भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक किये जाने की भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु रीको द्वारा जयप्रा के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (नगर आयोजना)
19.	55.8 (पृ.67 से 69)	जयपुर शहर हेतु प्रस्तावित बी.आर.टी.एस. परियोजना का जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की गत बैठक दिनांक 17.3.07 एवं 19.3.07 में लिये गये निर्णयानुसार बी.आर.टी.एस. परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा बी.आर.टी.एस. परियोजना को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।	जोनल अभियंता (मुख्यालय) व बी.आर. टी.एस. (द्वितीय)

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

25.	55.14 (पृ.88 से 94)	विद्याधर नगर योजना में अपंजीकृत ग्रुप हाऊसिंग के भूखण्डों का नियमन करने बाबत।	प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 11.1.1999 एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.6.2001 के अनुसार अपंजीकृत 20 ग्रुप हाऊसिंग समितियों को पूर्व में आवंटित भूखण्डों की लीज डीड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही दोहरे आवंटन से प्रभावित तीन ग्रुप हाऊसिंग समितियों को नियमानुसार अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त, जोन-2
26.	55.15 (पृ. 95)	Construction of various link roads in chomu constituency.	विचार विमर्श पश्चात स्थानीय विधायक द्वारा बताई गई विशिष्ट परिस्थितियों Heavy traffic pressure on chomu town. Above roads connect the various and Agra to Bikaner (NH) which is passing through Chomu town. Public of 50-60 Dhanies will get benefited by the roads के देखते हुए तथा ऊपर वर्णित सड़कों को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित जयपुर रीजन से बाहर की निम्न चार सड़कों (1) सामोद रोड से बीर हनुमान जी मंदिर रोड (3.2 कि.मी.) राशि रुपये 94.30 लाख (2) भोपालास से उदयपुरिया गाँव (3.70 कि.मी.) राशि रुपये 88.56 लाख (3) हादोता से बीर हनुमान जी मंदिर (3.20 कि.मी. रोड) राशि रुपये 89.58 लाख (4) हादोता से जोधपुरिया गाँव (3.10 कि.मी.) राशि रुपये 50.28 लाख कुल राशि रुपये 326.72 लाख के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।	जोनल अभियन्ता 12ए

X
राज्यपाल
विकास 16 अधिकारण
जयपुर उ.प्र.
उ.प्र.पुर

जयपुर विकास 16 अधिकारण
उ.प्र.पुर

24.	55.13 (पृ.86 से 87)	ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में निजी विकासकर्ताओं से सेक्टर रोड निर्माण हेतु विकास शुल्क निर्धारण हेतु।	जयपुर विकास प्राधिकरण की 53वीं बैठक दिनांक 18.10.06 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 53.45 पर यह निर्णय लिया गया कि – “ग्रुप हाउसिंग योजना में सेक्टर रोड के सहारे व्यावसायिक पट्टी नहीं रखी जावेगी तथा सड़क के सहारे अन्य सेवायें जैसे बिजली, पानी की लाइन, ड्रेनेज, सीवरेज आदि के विकास पर होने वाला व्यय सेक्टर रोड खुलने वाली योजना के Frontage के आधार पर निजी विकासकर्ता के द्वारा देय होगा।” ऑथोरिटी के इस निर्णय पर पुनः विचार कर ऑथोरिटी द्वारा एकरूपता लागू करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में ग्रुप हाउसिंग योजना के समस्त प्रकरणों में पेराफेरी विकास शुल्क 50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर राज्य सरकार की अधिसूचना 29.03.07 को मध्यनजर रखते हुए विकास शुल्क 200/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से वसूल किया जावे। प्राधिकरण की 53वीं बैठक दिनांक 18.10.2006 के पश्चात के जिन प्रकरणों में व्यावसायिक पट्टी नहीं रखी गई है उनमें पेरीफेरी शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को समायोजित करते हुए 200/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अब शेष राशि वसूल की जाये। ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में व्यावसायिक पट्टी रखने की अनिवार्यता नहीं होगी।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)
-----	------------------------	---	---	-------------------------


15
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

अन्य विचारणीय बिन्दू :-

माननीय विधायक श्री कन्हैयालाल मीणा ने गोनेर कस्बे के अन्दर से हो रहे ट्रेफिक हैजार्ड की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया एवं इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिया कि जविप्रा द्वारा गोनेर के बाहर से बाईपास निर्माण के प्रस्ताव तत्काल तैयार किया जावें। जगतपुरा से रेल्वे लाईन के पास होते हुए बस्सी तक प्रस्तावित 200 फीट रोड के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति तथा भूमि के चिन्हिकरण का कार्य तीन माह में पूरा करवाया जावे। आगरा रोड से गानेर रोड काफी खराब स्थिति में है जिसकी मरम्मत करवाई जावे। पालडी मीणा योजना या रोपाडा में 5.00 बीघा भूमि सरकारी अस्पताल हेतु आवंटित की जावें जिसके निर्माण हेतु दानदाता राशि 2 करोड रुपये खर्च करने हेतु तैयार है। जिसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में अस्पताल हेतु स्वीकृति ली जाये। ढूड़ नदी में कानोता एवं हरिरामपुरा गांव की सीमा में जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाली 64-00 बीघा राजकीय/जविप्रा भूमि में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी एवं अन्य अतिक्रमणों को शीघ्र हटाया जावे। बस्सी कस्बे में रेल्वे फाटक पर रेल्वे ब्रिज बनाया जावे तथा बस्सी कस्बे में स्थित स्टेडियम का निर्माण एवं विकास विद्याधर नगर योजना में स्थित स्टेडियम के विकास की तर्ज पर किया जावे। प्राधिकरण सीमा विस्तार में कून्थाडा, बैनाडा, दूधली, झर्र, जटवाडा एवं हंसमहल आदि ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण गांवों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव लिया जावे। इस सम्बन्ध में निदेशक (अभियांत्रिकी), उपायुक्त, जोन-10 एवं 12 द्वारा कार्यवाही जावें।

माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता द्वारा चांदपोल बाजार स्थित पुराने पागलखाने की भूमि (शिक्षा विभाग से प्राप्त भूमि) पर नीचे तहखाने में पार्किंग बनाया जावें एवं शेष भूमि को ग्रीन वैल्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस संबंध में निदेशक (आयोजना / अभियांत्रिकी) एवं उपायुक्त, जोन-2 द्वारा कार्यवाही की जावे।

माननीय विधायक श्री कालीचरण सर्वाक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये कि पुराने आतिश मार्केट में दुकानदारों से किराया वसूली जयपुर नगर निगम द्वारा की जावें। क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के बदले में महाराजा मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट को महल योजना के पास 15 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस संबंध में जोन उपायुक्त 5 की संबंधित पत्रावली के अनुसार पुराना आतिश मार्केट नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है इसलिये इस संबंध में नगर निगम के द्वारा ही कार्यवाही की जावेगी। ग्राम रामजीपुरा एवं झालाना क्षेत्र में कई वर्षों पुराने कब्जेधारियों के पास किसी भी तरह का पट्टा नहीं होने से उनका स्वामित्व सिद्ध नहीं होने के कारण समस्याए आ रही है अतः इस सम्बन्ध में प्रकरण में नीतिगत निर्णय हेतु राज्य को प्रस्ताव भेजा जावे। मालवीय नगर सेक्टर-11 के पास अण्डर बाईपास के निकट रोड पर बैठे हुए कब्जेधारियों को अन्यत्र पुनर्वासित हेतु नगर निगम से कार्यवाही करावें। पालडीमीणा कच्ची बस्ती के लोगों के लिये पेयजल की व्यवस्था करने का का प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं जानना चाहा कि पानी की टंकी कब तक बन जायेगी तथा वर्तमान में इस बस्ती में पेयजल की क्या व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जोनल अभियन्ता पी.एच.ई.डी. ने अवगत कराया कि पानी की टंकी का निर्माण तीन माह में पूर्ण कर लिया जावेगा। गांधीपथ से रीको सर्किल तक रोड को चौड़ी करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में कब्जेधारियों की समस्या है। उसे नगर निगम निर्णय कर समाधान करावें। इससे यह सडक बहुत महत्व की होगी तथा जवाहर लाल नेहरू



लाल नेहरू

मार्ग के यातायात दबाव को कम करेगी एवं यातायात में सुगमता रहेगा। इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं उपायुक्त, जोन-1, 5, व 10 तथा जोनल अभियन्ता पी.एच.ई.डी. द्वारा कार्यवाही की जावे।

माननीय विधायक प्रो० बीरू सिंह राठौड़ ने अवगत कराया कि जयपुर एक्षन एजेण्डा (जाग) में जयपुर के 1 से 12 वार्डों का विकास कार्य शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ करवाये जावें। गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनायें जिनमें समिति द्वारा प्राधिकरण में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की वजह से नियमन की कार्यवाही नहीं की जा रही है ऐसी योजनाओं में विकास समिति द्वारा सदस्य सूची एवं योजना मानचित्र प्रस्तुत करने पर नियमन की कार्यवाही राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जावें। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं में पेयजल, सीवरेज कनैक्शन तथा पार्कों का नापचोक कर बाउण्डीवाल बनाई जाने की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं उपायुक्त, जोन-12 द्वारा कार्यवाही की जावें।


माननीय विधायक श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ने शिवदासपुरा रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू करने तथा प्राधिकरण क्षेत्र में नये सम्मिलित किये जाने वाले गांवों में योजनाबद्व विकास कार्य करने की मांग रखी। जिस पर निदेशक (अभियांत्रिकी) समुचित कार्यवाही करें। इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा कार्यवाही की जावे।

माननीय महापौर श्री अशोक परनामी ने सुझाव दिया कि जयपुर शहर में सफाई एवं यातायात की समस्या को देखते हुए शादी-समारोह आदि (मांगलिक कार्यों) के लिए जयपुर शहर के बाहर स्थान चिह्नित किये जावें। नगर निगम द्वारा डेयरियों का सर्व कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाकर सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जावें। जिससे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डेयरी के लिए भू-आवंटन से वंचित लोगों को भू-आवंटन किया जा सकें। इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी./पूर्व/पश्चिम) द्वारा कार्यवाही की जावे।

माननीय जिला प्रमुख द्वारा झोटवाडा पंचायत समिति की भूमि प्राधिकरण/नगर निगम को सुपुर्द करने तथा बदले में समकक्ष भूमि जयपुर शहर के बाहर आवंटन करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में उपायुक्त, जोन-6 द्वारा कार्यवाही की जावे।

जयपुर शहर के माननीय विधायकों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि उनके पत्रों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब समय पर नहीं दिया जाता है। जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा उपायुक्त (समन्वय) को इस हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। इस संबंध में उपायुक्त (समन्वय) द्वारा कार्यवाही की जावे।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बैठक दिनांक 03.11.2007 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण के सभा कक्ष “मंथन” में श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्री प्रतापसिंह सिंघवी	राज्यमंत्री	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।	अध्यक्ष
2.	श्री अजयपाल सिंह	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
3.	श्री अशोक परनामी	महापौर	जयपुर नगर निगम, जयपुर	सदस्य
4.	श्री रामगोपाल गार्ड	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री मोहन लाल गुप्ता	विधायक	किशनपोल	सदस्य
6.	प्रो० बीरुल सिंह राठौड	विधायक	बनीपार्क	सदस्य
7.	श्री कन्हैयालाल भीणा	विधायक	बस्सी	सदस्य
8.	श्री सुरेन्द्र पारीक	विधायक	हवामहल	सदस्य
9.	श्री कालीचरण सराफ	विधायक	जौहरी बाजार	सदस्य
10.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा	विधायक	फागी	सदस्य
11.	श्री परविन्दर सिंह	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग	सदस्य
12.	डॉ डी०बी० गुप्ता	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
13.	श्री एस.सी. महागांवकर	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
14.	श्री अजीत कुमार गुप्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य

15	श्री आर.पी. माथुर	S.E. PHED city Jaipur	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राज., जयपुर।	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
16.	श्री रामनिवास मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
17.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
18.	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक अभियान्त्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
19.	श्री पी.के.पाण्डेय	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
20.	श्री पी.ई. धमनिया	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
21.	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
22.	सुश्री रेखा गुप्ता	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
23.	श्री एन.के.खीचा	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
24.	श्री बी.के.दोसी	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
25.	श्री नरेश कुमार शर्मा	अति.आयुक्त एल०पी०सी०	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
26.	श्री संदीप सिंह	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
27.	श्री सुनील जोशी	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	

सचिव


जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक :- प.31(55)जविप्रा/जोन-2/2007/डी-२५३६

दिनांक :- १९-११-०७

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2.	अध्यक्ष	राजस्थान अवासन मण्डल, जयपुर।
3.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
4.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
5.	श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक	किशनपोल
6.	श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक	हवामहल
7.	प्रो० बीरुल सिंह राठौड़, विधायक	बनीपार्क
8.	श्री कालीचरण सर्वाफ, विधायक	जौहरी बाजार
9.	श्री कन्हैयालाल मीणा, विधायक	बस्सी
10.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक	फागी
11.	श्री नवरत्न राजौरिया, विधायक	सांभर
12.	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13.	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	जिला कलैक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर
16.	मुख्य नगर नियोजक	राजस्थान, जयपुर
17.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग, जयपुर।
18.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
19.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
20.	निजी सचिव, सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

22.	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	निदेशक प्रोजेक्टस	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26.	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27.	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28.	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
29.	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
30.	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
31.	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
32.	सहायक आयुक्त (प्रोटोकाल एवं नजारत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
33.	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Om
सहाय्यक व

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर